102

R-1206-I/13

समक्ष :- राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म.प्र.

1. जमना पवार पति अन्ना पवार

निवासी खञ्जनपुर मटन मार्केट के पास बैतूल,

तह. व जिला बैतूल

2. सोमेश पवार आ. सुरजन पवार

निवासी चक्कर रोड सोनाहिल कालोनी बैतूल

3. मुन्नीबाई जोजे कालीराम

निवासी रंडड की चाल पानकर किराने के पास

बैतूल तह. व जिला बैतूल ---- पुनरीक्षणकर्तागण.

श्री रत्नेश दुबे अभि. द्वारा हाजिर दि. 28.2.13 को पेश 28-2-13

22/3/13

बनाम

1. कुसुम पवार जोजे पप्पू पवार

निवासी चक्कर रोड सोनाहिल कालोनी बैतूल,

2. प्रवीणचंद आ. अमरलाल

3. संदीप आ. अमरलाल

4. अमरलाल आ. गोविंदराव

सभी निवासी देशबंधु पुरा टिकारी बैतूल

तह. व जिला बैतूल

5. विनिता जोजे कृष्ण कुमार

निवासी भैंसदेही तह. बैतूल

6. राजेश आ. सुरजन पवार

निवासी चक्कर रोड बैतूल

7. संध्या पंडागरे जोजे संतोष पंडागरे

निवासी प्रताप वार्ड टिकारी बैतूल

2.

8×ससरबिम×क्षXRR×8R.

कु. गायत्री जोजे राधिकाचंद पांडे
निवासी प्रताप वार्ड टिकारी बैतूल
तह. व जिला बैतूल ----- उत्तरवादीगण.

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू रा.सं.

माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील क्र. 38/अपील/11-12 में पारित आदेश दिनांक 17.1.13 जिसके द्वारा अपील प्रकरण क्र. 46अ/11-12 एवं 47अ/11-12 को एक ही भूमि से संबंधित होने से समाविष्ट कर धारा 5 परिसीमा अधिनियम का आवेदन पत्र स्वीकार किया है से व्यथित होकर पुनरीक्षण कर्ता यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालयके समक्ष निम्न आधारों पर प्रस्तुत करते है :-

1. यह कि निम्न न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण क्र. 38/अपील/11-12 के सदथ अन्य अपील को वगैर किसी पक्ष के आवेदन के और वगैर किसी उभय पक्ष की सहमति से समाविष्ट कर आदेश पारित कर भूल की है । निम्नन्यायालय को देखना था किप्रत्येक अपील में धारा 5 परिसीमा अधिनियम का पृथकपृथक आवेदनपत्र है और प्रत्येक अपील में विलंब की सीमा पृथक पृथक है ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालयके द्वारा प्रकरण को समाविष्ट कर आदेश पारित कर भूल की है ।

2. यह कि निम्न न्यायालयको देखना था कि 38/11-12 के केस में निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1206-एक/13 जिला बैतूल जमुना/कुसुम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-4-2019	अनावेदक क्रमांक 8 की ओर से अभिभाषक श्री मनोज रघुवंशी उपस्थित । आवेदक एवं शेष अन्य अनावेदक दिनांक 2-8-18 विगत 8 माह से अनुपस्थित । जिससे यह प्रतीत होता है कि आवेदक को प्रकरण को चलाये रखने में कोई रूचि नहीं है । अतः यह प्रकरण आवेदक की अरूचि में समाप्त किया जाता है । सदस्य भोपाल कैम्प	